



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062022-236510
CG-DL-E-11062022-236510

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2545]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944

No. 2545]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISHTHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

का.आ. 2672(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.888(अ) तारीख 28 फरवरी, 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 28 फरवरी, 2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में जलगांव-भडगांव-चात्लीसगांव-मनमाड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753जे के नांदगांव-मनमाड खंड कि.मी. 147.425 से कि.मी. 168.800 के (21.375 कि.मी.) के भूखण्ड के निर्माण (दोन/चार लेन का बनाने / चौड़ा करणे, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "१० मार्च २०२२" तारीख को "दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स" और "दैनिक लोकमत टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए,

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में जलगांव-भडगांव-चालीसगांव-मनमाड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753जे के नांदगांव-मनमाड खंड कि.मी. 147.425 से कि.मी. 168.800 के (21.375 कि.मी.) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नासिक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नांदगाव				
	गांव का नाम: हिसवल बुहुक				
1	12	निजी	शुष्क	0.14	बाबुराव केरु महार (१२)
2	18	निजी	शुष्क	0.08	गुणाबाई गुलाब जगताप दादा गुलाब जगताप राजेंद्र गुलाब जगताप सुमनबाई गुलाब जगताप लक्ष्मीबाई भावराव जगताप फकिरा भावराव जगताप अशोक भावराव जगताप सुशाबाई प्रभाकर शिंगाडे रुक्मीनीबाई विठ्ठल आहिरे वच्छाबाई नाना गरुड शाकुबाई शामराव आहिरे नथुबाई उत्तम जगताप दिलीप उत्तम जगताप वाळु उत्तम जगताप, रंजना उत्तम जगताप, संजय उत्तम जगताप (१८)
3	19	निजी	शुष्क	0.14	श्रीपत बयाजी जगताप (१९)
4	24	निजी	शुष्क	0.01	पोपट रमा महार एकत्र कुटुंब कर्ता. (२४)

5	25	निजी	शुष्क	0.06	साईबाई नामा जगतप (२५)
6	26	निजी	शुष्क	0.13	वाल्मिक भिका जगताप (२६)
7	27	निजी	शुष्क	0.009	अमृत बाबुराव देशमुख, इतर हक्कात – हिसवळ बु. विविध कार्यकारी सेवा संस्था मर्यादीत. (२७)
8	433	निजी	शुष्क	0.027	भिमराव माधवराव देशमुख पोपटराव माधवराव देशमुख मंगलाबाई मधुकर शिंदे कमलाबाई पोपटराव भोसले, इतर हक्कात- गयाबाई श्रीपतराव निकम, माईबाई दत्तात्रय, लिलाबाई भुजंगराव, मंगलबाई मधुकर शिंदे, कमलाबाई पोपटराव भोसले, हिसवळ बु. वि.वि.कार्य. सेवा सह. सोसा लि. (४३३)
9	81	निजी	शुष्क	0.017	अशोककुमार केशरीमल पारख, आनंद केशरीमल पारख, रमेश केशरीमल पारख, दिलीप केशरीमल पारख, जसराज कचरदास पारख, मोहन कचरदास पारख, सजनराज कचरदास पारख, हुकुम पारसमल पारख, नरेंद्र कचरदास पारख, तारा राजेंद्र जैन, महाविर पारसमल पारख, वंदना सुरेंद्र जैन, शांतीलाल भिकचंद जैन, मनोज केमिकल इंडस्ट्रीज, पदमकुमार शांतीलाल जैन, अजित शांतीलाल जैन, मनोज शांतीलाल जैन, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नांदगांव, दि नाशिक मर्चेंट को ऑफ बैंक लि. शाखा नांदगांव (८१)
			कुल	0.613	

[फा. सं. 1203/9/2018-MAH(Zone-4)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 2672(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highway No.S.O.888 (A) Dated 28 February, 2022 , published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening/four-laning, etc.) maintenance, management and operation of NH-753J on the stretch of land from Km 147/425 to Km. 168/800 (Jalgaon-Pachora- Bhadgaon-Chalisgaon-Nandgaon-Manmad Road) in the district of NASHIK in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in **“Dainik Maharashtra Times ”** and **“Dainik Lokmat Times ”** both dated 10th March 2022.; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-753J on the stretch of land from Km. 147/425 to Km. 168/800 (Jalgaon-Pachora-Bhadgaon-Chalisgaon- Nandgaon-Manmad Road) in the district of NASHIK in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: NASHIK			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nandgaon				
	Village: Hiswal Bk.				
1	12	Private	Dry	0.14	Baburao Keru Mahar 12

2	18	Private	Dry	0.08	Gunabai Gulab Jagtap, Dada Gulab Jagtap, Rajendra Gulab Jagtap, Sumanbai Gulab Jagtap, Laxmibai Bhaurao Jagtap, Fakira Bhaurao Jagtap, Ashok Bhaurao Jagtap, Sushabai Prabhakar Shingade, Rukhminibai Vitthal Aahire, vachabai Nana Garud, Shakubai Shamrao Aahire, Nathubai Uttam Jagtap, Dilip Uttam Jagtap, Valu Uttam Jagtap, Ranjana Uttam Jagtap, Sanjay Uttam Jagtap. 18
3	19	Private	Dry	0.14	Shripat Bayaji Jagtap 19
4	24	Private	Dry	0.01	Popat Rama Mahar Ekatr Kutumb Karta. 24
5	25	Private	Dry	0.06	Saibai Nama Jagtap 25
6	26	Private	Dry	0.13	Valmik Bhika Jagtap 26
7	27	Private	Dry	0.009	Amrut Baburao Deshmukh, Other Rights – Hiswal Bk. Karykari Seva Sahkari Santha Marya. 27
8	433	Private	Dry	0.027	Bhimrao Madavrao Deshmukh, Popatrao Madavrao Deshmukh, Mangalabai Madukar Shinde, Kamlabai Popatrao Bhosale, Amrut Baburao Deshmukh. Other Right – Gayabai Sripatrao Nikam, Maibai Dattatray, Lilabai Bhujangrao, Magalbai Madhukar Shinde, Kamlabai Popatrao Bhosale, Hiswal Bk. Vi. Karykari Soc. 433
9	81	Private	Dry	0.017	Ashokkumar Kesharimal Parakh, Aanad Kesharimal Parakh, Ramesh Kesharimal

					Parakh,Dilip Kesharimal Parakh,Jasraj Kachardas Parakh,Mohan Kachardas Parakh,Sajanraj Kachardas Parakh,Hukum Parasmal Parakh,Narendra kachardas Parakh,Tara rajendra Jain, Mahavir Parasmal Parakh, Vandana Surendra Jain, Shantilal Bhikchand Jain, Manoj Chemical Industries, Padamkumar Shantilal Jain, Ajit Shantilal jain, Manoj Shantilal Jain. Other Right – State Bank of India Nandgaon, Nashik Merchant Co-Op Bank Ltd, Nandgaon. 81
			TOTAL	0.613	

[F. No. 1203/9/2018-MAH(Zone-4)/3D]

RAJESH GUPTA, Director